पत्रांकः 2P/RGSA-20/AP-05/2023/..10.7.4.0.../PR.

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना।

पटना, दिनांक 06/10/2023

विषयः **वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत् अनुरक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना को कुल ₹3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेक योजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पंचायतों के क्षमतावर्द्धन और उनके स्तर से क्रियान्वित योजनाओं के संचालन, प्रबंधन एवं अनुश्रवण कार्य में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पूनर्गठित) द्वारा सहयोग दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में विभाग अंतर्गत क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण का आयोजन, समन्वय तथा पंचायत स्तर पर संचालित विभागीय योजनाओं/गतिविधियों का अनुश्रवण कार्य राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना के द्वारा किया जा रहा है।

2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2023–24) के अन्तर्गत CEC द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के ईकाई क्रमांक–8 में Other Components में Economic Development & Income Enhancement (Plumber Training) हेतु 9.53 करोड़ राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है।

3. National Skill Development Corporation (NSDC), Patna, Bihar द्वारा 9500 अनुरक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसका Total Project Cost ₹9,37,66,900.00 (नौ करोड़ सैंतीस लाख छियासठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र है।

4. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2023-24) योजना मद से अनुरक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कुल ₹3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र की राशि राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना के Zero Balance Subsidiary Account में उपलब्ध करायी जा रही है।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग होंगे, जो PFMS के माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से संबंधित विभागीय खाता

सं0—37804658816, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना—15) में उपलब्ध राशि से स्वीकृत राशि के अनुरूप Parent & child Agency का Drawing Limit निर्धारित करते हुए संबंधित बैंक को भी Drawing Limit तय करने हेतु संसूचित करेंगे। इस कार्य में विभागीय आई0टी0 प्रबंधक के द्वारा विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6. परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना के द्वारा राशि का व्यय Zero Balance Subsidiary Account से Drawing Limit के अन्तर्गत PFMS के Web Portal से E-payment Print Advice के माध्यम से RGSA के मार्गदर्शिका (Framework), National Skill Development Corporation (NSDC), Patna, Bihar से हुए एकरारनामा में उल्लेखित शर्त्तों के अनुरूप एवं वित्तीय वर्ष 2023—24 हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (संलग्न) के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा। समय एवं परिस्थिति के अनुसार राशि को व्यय करने में मितव्ययता की जायेगा। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. उपलब्ध करायी गयी राशि के व्ययोपरांत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (GFR-19A एवं BTC-42A) में विभाग को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

8. राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र द्वारा कर्णांकित राशि का व्यय PFMS के नये दिशा—निर्देश के अनुरूप किया जाएगा। भारत सरकार वित्त मंत्रालय, Department of Expenditure के OMF No.-1(13)PFMS-FCD/2020 Date 23.03.2021 पत्र के साथ संलग्न है।

9. इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका सं0— 2P/RGSA-20/AP-05/2023 के पृष्ठ—12/टि0 पर प्राप्त है।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक—2P/RGSA-20/AP-05/2023/..10740..../PR पटना, दिनांक 06/10/2023

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–2P/RGSA-20/AP-05/2023/..10740..../PR पटना, दिनांक 06/10/2023

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा–6 / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 / आई0टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि पत्र की प्रति विभाग के वेबसाईट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ईमेल के माध्यम से सूचित करेंगे।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक–2P/RGSA-20/AP-05/2023/..10740..../PR पटना, दिनांक 06/10/2023

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक–2P/RGSA-20/AP-05/2023/..10740..../PR पटना, दिनांक 06/10/2023

प्रतिलिपिः–श्रीमती भावना वर्मा, Regional Head-East, NSDC को उनके Email id-bhawana.verma@nsdcindia.org पर सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी